

१८५/११

पत्रावली पेश हुई। पुलिस अधीक्षक जिला सवाई माधोपुर द्वारा उनके पत्रांक: स0मा0/एम ओ बी/ 2021/1903 दिनांक 24.09.21 द्वारा प्रेषित किया है। उक्त पत्र में अंकित किया है कि अपराधी महेन्द्र उर्फ छीतरया पुत्र श्री सुरेश जाति मीना उम्र 24 साल निवासी सूरवाल पुलिस थाना जिला सवाई माधोपुर के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही हेतु उनके कार्यालय के पत्रांक 8156 दिनांक 16/11/2018 द्वारा कथन किया गया था कि उक्त अपराधी महेन्द्र उर्फ छीतरया की दिनांक 29.05.2021 को मृत्यु हो चुकी है। जिसके संबंध में थाना सूरवाल से मृत्यु संबंधित जांच रिपोर्ट मय मृत्यु प्रमाण पत्र के प्रेषित की है। अतः उक्त अपराधी श्री महेन्द्र उर्फ छीतरया पुत्र श्री सुरेश जाति मीना उम्र 24 साल निवासी सूरवाल पुलिस थाना सूरवाल जिला सवाई माधोपुर के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही ड्रॉप किये जाने का अनुरोध किया है।

अतः श्रीमान पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त महेन्द्र उर्फ छीतरया पुत्र श्री सुरेश जाति मीना निवासी सूरवाल पुलिस थाना सूरवाल जिला सवाई माधोपुर के फोट हो जाने पर उनके विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही चलाया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त महेन्द्र उर्फ छीतरया पुत्र श्री सुरेश जाति मीना निवासी सूरवाल पुलिस थाना सूरवाल जिला सवाई माधोपुर के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

